

### प्रस्तावना एवं पृष्ठभूमि

भूजल वह जल है जो संतृप्त क्षेत्र में सतह के नीचे मौजूद होता है और इसे कुओं या किसी अन्य माध्यम से निकाला जा सकता है या झरनों के रूप में उभरता है और धाराओं एवं नदियों में आधार रूप में प्रवाहित होता है। सिंचाई के लिए पानी की कुल आवश्यकता का लगभग 62 प्रतिशत, ग्रामीण जलापूर्ति में 85 प्रतिशत और शहरी जल आपूर्ति में 45 प्रतिशत भूजल से आता है। इसलिए, सतत विकास एवं भूजल का कुशल प्रबंधन भारत में नियमन के लिए एक जटिल चुनौती है। भारत, सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करके संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के ध्येय के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

जल राज्य का विषय होने के कारण, भूजल के विनियमन और विकास के लिए कानून, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (केन्द्र शासित प्रदेशों) द्वारा अधिनियमित किया जाना है। हालांकि, भूजल के उपयोग का नियमन केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर किया जाता है। शीर्ष स्तर पर, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डी.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. एवं जी.आर.) को भूजल संसाधनों के विकास और उपयोग योग्य संसाधनों की स्थापना के लिए समग्र योजना बनाने और नीति निर्माण के साथ आवंटित किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय (1996) के आदेशों के अनुपालन में, भूजल प्रबंधन और विकास के नियमन एवं नियंत्रण के उद्देश्य हेतु केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सी.जी.डब्ल्यू.ए.) का गठन किया गया था (जनवरी 1997)।<sup>1</sup> 13<sup>1</sup> राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में (मार्च 2019 तक) भूजल का विनियमन राज्यों द्वारा स्वयं भूमि जल प्राधिकरण या सरकारी आदेशों के माध्यम से किया जाता है।

केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सी.जी.डब्ल्यू.बी.) देश में जल संसाधनों के निर्धारण, प्रबंधन एवं विकास के लिए डी.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी. एवं जी.आर. के तहत राष्ट्रीय एजेंसी है। भूजल संसाधनों का मूल्यांकन अनुमानित इकाई-वार किया जाता है। 31 मार्च 2017 तक संपूर्ण भारत में 6,881 मूल्यांकन इकाईयों में से 1,186 को अति-दोहन, 313 संकटपूर्ण

<sup>1</sup> आंध्र प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, एन.सी.टी. दिल्ली (सरकारी आदेशों के माध्यम से) तमिलनाडु (सरकारी आदेशों के माध्यम से), तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़ (उपनियमों के माध्यम से), पुडुचेरी एवं लक्षद्वीप

972 अर्ध-संकटपूर्ण और 4,310 इकाईयों को सुरक्षित रूप में वर्गीकृत किया गया है। 100 मूल्यांकन इकाईयां पूर्ण रूप से खारी हैं। अति-दोहन एवं संकटपूर्ण प्रशासनिक इकाईयों की संख्या दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एवं राजस्थान में महत्त्वपूर्ण रूप से अधिक है। पंजाब में, मूल्यांकन इकाईयों का 80 प्रतिशत संकटपूर्ण या अति-दोहन है।

सी.जी.डब्ल्यू.ए. समय-समय पर भूजल के दोहन के लिए दिशा-निर्देश जारी करता है। दिशा-निर्देशों के तहत (नवंबर 2012/नवंबर 2015), जो लेखापरीक्षा किए जाने के समय लागू थे, सी.जी.डब्ल्यू.ए. ने भूजल विकास के नियमन के उद्देश्य हेतु 162 संकटपूर्ण/अति-दोहन वाले क्षेत्रों को अधिसूचित किया था। अधिसूचित क्षेत्रों में, भूजल पीने और घरेलू उपयोग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए भूजल के दोहन की अनुमति नहीं थी। गैर-अधिसूचित क्षेत्रों में, सी.जी.डब्ल्यू.ए. औद्योगिक/अवसंरचनात्मक/खनन परियोजनाओं के लिए भूजल के दोहन की अनुमति दे सकता था।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में, सी.जी.डब्ल्यू.ए. ने सितंबर 2020 में संशोधित दिशा-निर्देश अधिसूचित किया। नए दिशा-निर्देशों में अब अखिल भारतीय प्रयोज्यता है और राज्यों के दिशा-निर्देशों से किसी भी विचलन के मामलों में प्रभावी होंगे। पूर्व के कुछ प्रावधानों जैसे सी.जी.डब्ल्यू.ए. द्वारा क्षेत्रों की अधिसूचना को समाप्त कर दिया गया है, जबकि कुछ नए प्रावधान, जैसे कि विभिन्न श्रेणी क्षेत्रों (सुरक्षित, संकटपूर्ण, अर्ध-संकटपूर्ण और अति-दोहन किए गए) में भूजल के दोहन के लिए अंतर शुल्क जैसे कुछ नए प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं।

बारहवीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान ₹ 3,319 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ भूजल प्रबंधन एवं विनियमन पर एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई थी और भूजल संसाधनों के उचित मूल्यांकन एवं प्रबंधन का समग्र उद्देश्य रखना ताकि इसकी स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सके। इस योजना को 2017-20 के दौरान ₹ 992 करोड़ की अनुमानित लागत से जारी रखा गया था। राज्य स्तर पर, राज्य सरकारें जल आपूर्ति, नियंत्रित सिंचाई, भूजल पुनर्भरण, भूजल पर निर्भरता कम करने, भूजल के प्रदूषण को कम करने, आदि के लिए अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करती हैं।

भारत में भूजल का परिदृश्य कृषि, औद्योगीकरण की प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं और अनिश्चित वर्षा के संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि के दबाव के कारण चुनौतियों से घिरा हुआ है। भूमिजल के दूषित होने और घटने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के अतिरिक्त

आजीविका के लिए भी एक गंभीर खतरा बना हुआ है। तदनुसार, हमने भारत में भूजल क्षेत्र के लिए समग्र ढांचे का पता लगाने के उद्देश्य से एक समग्र परिपेक्ष्य के माध्यम से भूजल प्रबंधन एवं विनियमन की निष्पादन लेखापरीक्षा करने का निर्णय लिया की क्या:

- 1) भारत में भूजल के प्रबंधन हेतु तंत्र पर्याप्त, कुशल एवं प्रभावी है;
- 2) भूजल अधिनियम दक्षतापूर्ण और प्रभावपूर्ण रूप से लागू किए जाते हैं;
- 3) भूजल प्रबंधन एवं अधिनियम पर योजनाओं के लक्ष्य और उद्देश्य दक्षतापूर्वक एवं प्रभावी रूप से प्राप्त किए गए थे; और
- 4) भूजल से संबंधित सतत विकास लक्ष्य 6 के तहत प्रासंगिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उचित प्रयास किए गए हैं।

## मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष

### अध्याय 2: भूजल का प्रबंधन

पुनर्भरण के संबंध में भूजल के उपयोग का प्रतिशत, जिसे देश में भूजल के निष्कर्षण स्तर के रूप में जाना जाता है, 63 प्रतिशत था। 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में, निष्कर्षण का चरण राष्ट्रीय स्तर के निष्कर्षण की तुलना में अधिक था। चार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली, हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान) में निष्कर्षण का स्तर 100 प्रतिशत से अधिक था, यह दर्शाते हुए कि भूजल का निष्कर्षण, भूजल के पुनर्भरण से अधिक हो गया था। जिला स्तर पर, 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में, 267 जिलों में 64 प्रतिशत से 385 प्रतिशत के बीच 63 प्रतिशत से अधिक का निष्कर्षण का स्तर था। 2004 से 2017 की अवधि के दौरान, भूजल के निष्कर्षण के स्तर में 58 से 63 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान, सुरक्षित ब्लॉकों के प्रतिशत में कमी हुई है जबकि अर्ध-संकटपूर्ण, संकटपूर्ण और अति-दोहन के रूप में वर्गीकृत खंडों के प्रतिशत में लगातार वृद्धि हुई है।

(पैरा 2.2)

भूजल संसाधनों का मूल्यांकन प्रत्येक दो वर्षों में किया जाना था। लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान, सी.जी.डब्ल्यू.बी. ने 2013 और 2017 के लिए इस प्रकार के मूल्यांकन किए और क्रमशः जून 2017 और जूलाई 2019 में रिपोर्ट प्रकाशित की। सी.जी.डब्ल्यू.बी.

ने 2015 के लिए यह मूल्यांकन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप 2013 और 2017 के बीच मूल्यांकन में चार वर्षों का अंतराल रहा।

(पैरा 2.3)

भूजल स्तर को मापने के लिए 50,000 अवलोकन कुंओं की प्रस्तावित संख्या के विरुद्ध (XII योजना अवधि की समाप्ति तक अर्थात् 2012-17), 31 मार्च 2019 तक केवल 15,851 अवलोकन कुंओं के एक नेटवर्क की निगरानी भी की जा रही थी। सी.जी.डब्ल्यू.बी. ने राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एन.एच.पी.)<sup>2</sup> के तहत भूजल घटक के साथ अभिसरण में डिजिटल जल स्तर रिकॉर्डर (डी.डब्ल्यू.एल.आर.) और टेलीमेट्री<sup>3</sup> से संसाधित उद्देश्य से निर्मित कुंओं के माध्यम से देश भर में विभिन्न एक्विफर्स में वास्तविक समय भूजल निगरानी का प्रस्ताव रखा, जिसकी अभी भी मार्च 2020 तक योजना की जा रही है।

(पैरा 2.4)

राजस्थान (20 प्रतिशत), दिल्ली (10 प्रतिशत) और हरियाणा (पांच प्रतिशत) में पानी की गहराई 40 मीटर<sup>4</sup> से अधिक वाले अवलोकन कुंओं की संख्या महत्वपूर्ण थी। इसके विपरीत, मेघालय (100 प्रतिशत), नागालैंड (100 प्रतिशत), पुडुचेरी (100 प्रतिशत) और अंडमान एवं निकोबार द्वीप-समूह (99 प्रतिशत) में भूजल की गहराई पांच मीटर से कम थी। सी.जी.डब्ल्यू.बी. ने 14,387 अवलोकन कुंओं से उपलब्ध आंकड़ों से संबंधित मानसून के बाद 2018 के जल स्तर की गहराई की तुलना मानसून के बाद के दशकीय माध्य से करने से संकेत मिलता है कि 5,115 (लगभग 36 प्रतिशत) कुंओं के जल स्तर में वृद्धि हुई थी। हालांकि 9,260 (लगभग 64 प्रतिशत) कुंओं में जल स्तर घटा हुआ दर्शाया गया। 12 कुंओं में जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

(पैरा 2.5.1)

<sup>2</sup> राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना को अप्रैल 2016 में केंद्रीय क्षेत्र परियोजना के रूप में ₹ 3,679.76 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था, जिसका उद्देश्य बाढ़ और बेसिन स्तर के संसाधन का मूल्यांकन/योजना हेतु जल संसाधन सूचना की सीमा गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना था और भारत में जल संसाधन व्यवसायी और प्रबंधन संस्थाओं की क्षमता को सुदृढ़ करना था।

<sup>3</sup> टेलीमेट्री दूरस्थ अथवा दुर्गम बिंदुओं पर माप या अन्य आंकड़ों का संग्रहण है और निगरानी हेतु प्राप्ति उपकरण के लिए उनका स्वचालित प्रसारण है।

<sup>4</sup> सी.जी.डब्ल्यू.बी. द्वारा वर्गीकृत गहराई की अधिकतम सीमा

2015 के आंकड़ों के अनुसार सी.जी.डब्ल्यू.बी. के द्वारा जांच किए गए 32 राज्यों में 15,165 स्थानों के आधार पर, भूजल में आर्सेनिक (697 स्थानों), फ्लोराइड (637 स्थानों), नाईट्रेट (2,015 स्थानों), लोहा (1,389 स्थानों) और लवणता (587 स्थानों) का अनुमेय सीमा से संदुषक का स्तर अधिक था।

(पैरा 2.5.3)

भूजल विधि निर्माण हेतु राज्यों को सक्षम बनाने के लिए डी.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी. एवं जी.आर. ने भूजल के अधिनियम और विकास हेतु सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एक मॉडल विधेयक परिचालित किया (2005)। हालांकि नीति आयोग के सुझावों के अनुसार मॉडल विधेयक की समीक्षा (दिसंबर 2019) की जा रही थी। दिसंबर 2019 तक, 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने भूजल के प्रबंधन हेतु कानून बनाया था। इनमें से चार राज्यों में, कानून आंशिक रूप से लागू किया गया था; छः अन्य राज्यों में, विभिन्न कारणों से भूजल कानून का अधिनियमन लंबित था। शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में भूजल हेतु कानून बनाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी। विभाग की ओर से स्पष्ट दिशा-निर्देशों की कमी ने राज्यों द्वारा लागू किए गए कानूनों को प्रभावित किया।

(पैरा 2.6 एवं 2.7)

सी.जी.डब्ल्यू.बी. और इसके क्षेत्रीय और संभागीय कार्यालयों में वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग श्रेणियों में मानव संसाधनों की कमी थी। मार्च 2019 तक वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग और मंत्रालयिक श्रेणियों में क्रमशः 37.51 प्रतिशत, 26.93 प्रतिशत और 26.60 प्रतिशत की रिक्तता थी। तकनीकी कर्मचारियों की कमी के बावजूद कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी अपने तकनीकी कर्मचारियों (वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग) को प्रशासनिक कार्य के लिए प्रतिनियुक्ति की थी।

(पैरा 2.9)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर भूजल से संबंधित विभागों/एजेंसियों में 12 से 82 प्रतिशत के बीच रिक्तता थी। मानव संसाधनों की कमी ने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की एजेंसियों के कार्यों के प्रभावी निर्वहन में बाधाएँ उत्पन्न की। बुनियादी ढांचे और

सुविधाओं की कमी के कारण, कुछ राज्य एजेंसियां अपेक्षित प्रयोगशाला परीक्षण करने में सक्षम नहीं थी, जिससे राज्यों में भूजल प्रबंधन प्रभावित हुआ।

(पैरा 2.11.1 एवं 2.11.2)

### अध्याय 3: भूजल विनियमन

18 राज्यों में 328 मामलों के नमूने में से जहां एक परियोजना प्रस्तावक को दी गई संचालन की सहमति (सी.टी.ओ.) में एक शर्त शामिल थी जिसमें भूजल निष्कर्षण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवश्यक थी, 253 परियोजनाएं (77 प्रतिशत) अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बिना परिचालित थीं।

(पैरा 3.3.1)

15 राज्यों में जिनके लिए आंकड़े लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए थे, 2013 से भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा 3,189 लाइसेंस पैक पेयजल इकाईयों को जारी किए गए थे, जिनमें से 2475 मामलों (78 प्रतिशत) में, परियोजना प्रस्तावक सी.जी.डब्ल्यू.ए. से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना काम कर रहे थे।

(पैरा 3.3.2)

2013-19 के दौरान, सी.जी.डब्ल्यू.ए. ने विभिन्न उद्योगों, खनन और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए भूजल निकासी के लिए 3,517 नए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए और 320 अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण किया। 31 मार्च 2019 तक, अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए 10,758 आवेदन और नवीनीकरण के लिए 144 आवेदन लंबित थे। इस प्रकार, लंबित अनापत्ति प्रमाण-पत्र की संख्या पिछले छः वर्षों के दौरान जारी नए अनापत्ति प्रमाण-पत्रों से तीन गुना अधिक थी।

(पैरा 3.4)

474 मामलों में, अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण 2013-18 के दौरान लंबित था परंतु परियोजना के प्रस्तावकों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था। सी.जी.डब्ल्यू.ए. ने इन परियोजना प्रस्तावकों के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत कोई कार्रवाई नहीं की। अतः अनापत्ति प्रमाण-पत्र की

समाप्ति के बाद भी, मौजूदा उद्योगों/परियोजनाओं ने बिना किसी विनियमन के भूजल का दोहन करना जारी रखा।

(पैरा 3.5)

ऐसे कई मामले थे जिसमें अनापत्ति प्रमाण-पत्र में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन हुआ था। व्यापक उल्लंघनों के बावजूद, सी.जी.डब्ल्यू.ए. ने केवल 99 परियोजना प्रस्तावकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया (2013-18)।

(पैरा 3.10.1)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र में निर्धारित शर्तों के अनुपालना के सत्यापन हेतु उद्योगों/परियोजना स्थलों (व्यक्तिगत परिवारों के अलावा) के संयुक्त क्षेत्रों के दौरे के दौरान, अनापत्ति प्रमाण-पत्र में उल्लिखित शर्तों का व्यापक अनुपालन देखा गया जैसे भूजल का अवैध निष्कर्षण (आंध्र प्रदेश), जल प्रवाह मीटर को स्थापित नहीं करना (गुजरात, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल), वर्षा जल पुनर्भरण संरचनाओं का अनुचित रखरखाव (गुजरात एवं हरियाणा), जल गुणवत्ता डेटा की निगरानी का अभाव (ओडिशा), अधिसूचित/अति-दोहन क्षेत्र में जल का अपव्यय (कर्नाटक) आदि।

(पैरा 3.10.2)

#### अध्याय 4: भूजल प्रबंधन एवं विनियमन पर योजनाओं का कार्यान्वयन

2012-19 हेतु ₹ 2,349.48 करोड़ के बजट आकलन के संबंध में योजना के तहत वास्तविक व्यय ₹ 1,109.73 करोड़ था।

(पैरा 4.2)

देश में एक्विफर मैपिंग के लिए 24.8 लाख वर्ग कि.मी. के क्षेत्र की पहचान की गई थी। सी.जी.डब्ल्यू.बी. ने सितंबर 2020 तक 13 लाख वर्ग कि.मी. (52 प्रतिशत) का क्षेत्र कवर किया था। इसके अतिरिक्त, केवल 6.5 लाख वर्ग कि.मी. के लिए एक्विफर मैपिंग रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया था और सितंबर 2020 तक ~3 लाख वर्ग कि.मी. के लिए भूजल के नमूने की बनावट को पूरा किया गया था।

(पैरा 4.3.1 एवं 4.3.3)

यद्यपि सी.जी.डब्ल्यू.बी. ने एक्विफर मैपिंग रिपोर्ट प्रकाशित की थी, एक्विफर मैपिंग पर सूचना के सरल प्रसार हेतु वेब-आधारित प्रणाली को डिजाइन नहीं किया गया था, जैसा परिकल्पित किया गया था।

(पैरा 4.3.5)

कार्यक्रम में शामिल 201 रिपोर्टों में से, नवंबर 2019 तक केवल 168 जिलों की एक्विफर मैपिंग रिपोर्ट जिला प्रशासन के साथ साझा की गई थी। अनेक राज्यों ने क्षेत्रों का पता लगाने के लिए मैप का पैमाना बहुत छोटा होना, क्षेत्र में रिपोर्ट को लागू करने के लिए सी.जी.डब्ल्यू.बी. या केंद्र सरकार से धन की प्राप्ति न होना, आदि बाधाओं के कारण सी.जी.डब्ल्यू.बी. द्वारा एक्विफर मैपिंग रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर कार्रवाई नहीं की।

(पैरा 4.3.7)

यद्यपि राष्ट्रीय जल नीति 2012 के अनुसार घटक सहभागी भूजल प्रबंधन (पी.जी.डब्ल्यू.एम.) के तहत 2013-17 की अवधि के लिए ₹ 575.38 करोड़ का परिव्यय प्रदान किया गया था, जिसमें से कोई व्यय नहीं किया गया। घटक को 2017-20 के बाद के ई.एफ.सी. ज्ञापन से हटा दिया गया और अब इसे अटल भूजल योजना (ए.बी.एच.वाई.) के माध्यम से सहभागी भूजल प्रबंधन पर एक पृथक योजना के रूप में लिया जा रहा है। हालांकि, पी.जी.डब्ल्यू.एम. के विपरीत ए.बी.एच.वाई. को केवल सात राज्यों<sup>5</sup> में कुछ चयनित स्थानों पर ही लागू किया जाएगा, इसलिए पैमाने और आकार दोनों में ए.बी.एच.वाई., पी.जी.डब्ल्यू.एम. के लिए एक प्रतिस्थापन नहीं हैं जिसे हटा दिया गया था।

(पैरा 4.4)

सी.जी.डब्ल्यू.बी. में क्षमता निर्माण पर सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाओं के साथ सी.जी.डब्ल्यू.बी. की विभिन्न गतिविधियों के बैचमार्किंग हेतु गठित एक विशेषज्ञ समूह द्वारा दी गई (दिसंबर 2012) 12 सिफारिशों में से चार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

(पैरा 4.5.2)

<sup>5</sup> गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, एवं उत्तर प्रदेश

कुछ राज्यों में योजनाओं में कमियां देखी गई; जैसे योजनाओं को पूरा करने में देरी, नलकूपों के निर्माण के प्रस्तावों की सिफारिश करने से पहले भूजल स्तर के आंकड़ों का विश्लेषण नहीं किया जाना (बिहार); भूजल पुनर्भरण कार्य योजना पर परियोजना को अंतिम रूप देने में देरी (दिल्ली); राज्य भूमिगत जल संरक्षण मिशन की गतिविधियों में कमी; छिड़काव सिंचाई के उपयोग के कार्यान्वयन हेतु लक्ष्यों की प्राप्ति में पिछड़ना (उत्तर प्रदेश) आदि।

(पैरा 4.6)

### अध्याय 5: सतत विकास लक्ष्य और भूजल

लक्ष्य 6.4 के तहत 70 प्रतिशत की शुद्ध वार्षिक उपलब्धता के बजाए प्रतिशत वार्षिक भूजल निष्कर्षण हेतु लक्षित मूल्य के विपरीत राष्ट्रीय स्तर 63 प्रतिशत था। तथापि आठ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ऐसे थे जहां यह मूल्य 70 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना से अधिक था। 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 534 जिलों में से 202 जिलों में 71 प्रतिशत से 385 प्रतिशत तक निष्कर्षण का स्तर था।

(पैरा 5.2.1)

लक्ष्य 6.6 पहाड़ों, जंगलों, आर्द्रभूमि, नदियों, एक्विफरों और झीलों सहित पानी से संबंधित परिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और पुनर्स्थापना से संबंधित है। जी.डब्ल्यू.एम.आर.एस. के एक्विफर मैपिंग और एक्विफर प्रबंधन योजना की तैयारी के घटक के तहत मैप की जाने वाले 11.85 लाख वर्ग कि.मी. (2012-20) के लक्ष्य के विपरीत सी.जी.डब्ल्यू.बी. ने सितंबर 2020 तक 13 लाख वर्ग कि.मी. ही मैपिंग का लक्ष्य प्राप्त किया हालांकि, लगभग 6.5 लाख वर्ग कि.मी. (अर्थात् कवर किए गए क्षेत्र का 50 प्रतिशत) के संबंध में एक्विफर मैपिंग रिपोर्ट को ही अंतिम रूप दिया गया था।

(पैरा 5.2.2)

जल प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को समर्थन देने और उनको मजबूत करने से संबंधित लक्ष्य 6 बी के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

(पैरा 5.2.3)

## अनुशंसा

### हम अनुशंसा करते हैं कि

1. विभाग यह सुनिश्चित करे कि भूजल संसाधनों, जल स्तर और गुणवत्ता का मूल्यांकन निर्धारित अंतराल पर किया जाए ताकि देश में भूमिगत जल भूजल की स्थिति पर वर्तमान डेटा बनाए रखा जा सके और प्रबंधन कार्यनीतियों की योजना बनाने हेतु ऐसे डेटा का उपयोग किया जा सके।
2. विभाग, भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना/राष्ट्रीय जल-विज्ञान परियोजना के तहत प्रतिबद्ध लक्ष्यों के अनुरूप भूजल की निगरानी के लिए डिजिटल जल स्तर रिकॉर्डर और टेलीमेट्री के साथ अवलोकन कुंओं की संख्या को बढ़ाने के लिए कार्रवाई करे।
3. विभाग मॉडल विधेयक को संशोधित करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करे एवं भूजल प्रबंधन से निपटने के लिए व्यापक कानून/अधिनियम लाने के लिए शेष राज्यों से प्रयास करे।
4. विभाग को सी.जी.डब्ल्यू.बी./सी.जी.डब्ल्यू.ए. की मानव संसाधन बाधाओं को भूजल प्रबंधन और प्रशासन की प्रक्रियाओं में सुचारु कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए अन्य विशेषज्ञों के साथ जुड़कर और कार्यनीति साझेदारी करके दूर करना चाहिए।
5. भूजल अधिनियम और प्रबंधन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, विभाग को राज्य सरकारों द्वारा रिपोर्ट किए गए संसाधनों की कमी को दूर करना चाहिए, तथा उन्हें भूजल के मूल्यांकन एवं निगरानी के लिए नवीनतम तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिये।
6. केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण और राज्य एजेंसियों को परियोजनाओं को सहमति देने वाली विभिन्न अन्य एजेंसियों के साथ प्रभावी समन्वय विकसित करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भूजल के निष्कर्षण के लिए अपेक्षित अनुमतियां भी प्राप्त की जा रही है।
7. केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण और राज्य एजेंसियां निर्धारित उचित समय के अंदर भूजल के निष्कर्षण की अनुमति को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करें।

8. अनापत्ति प्रमाण-पत्रों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण और राज्य एजेंसियों को परियोजनाओं के आवधिक निरीक्षण एवं समीक्षा हेतु एक प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है।
9. प्रभावी भूजल विनियमन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र में उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन के मामलों के विपरीत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और राज्य एजेंसियों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम/राज्य अधिनियमों/नियमों के अनुसार दंड प्रावधानों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है।
10. विभाग के लक्ष्यों और बजट परिव्यय की तुलना में किए गए सीमित व्यय को देखते हुए विभाग आवंटित निधियों का उपयोग करने के लिए और योजना की शेष अवधि के तहत नियोजित गतिविधियों को पूरा करने के लिए अपनी रणनीति की समीक्षा भी करे। विभाग योजना बनाने हेतु व्यवसाय निरंतरता योजना बनाने पर भी विचार करे।
11. विभाग यथोचित समय अवधि के अंतर्गत चिन्हित क्षेत्र एक्विफर मानचित्रण और प्रतिरूपण को शीघ्रता से पूरा करने के लिए एक कार्यनीति विकसित करे।
12. केंद्रीय भूमि जल बोर्ड प्राथमिकता के आधार पर एक्विफर मानचित्रण के संबंध में सूचना के सुगम प्रसार के लिए वेब आधारित प्रणाली विकसित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करे।
13. विभाग राष्ट्रीय एक्विफर मानचित्रण परियोजना रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए केंद्रीय भूमि जल बोर्ड और राज्य सरकारों के बीच उचित समन्वय सुनिश्चित करे।
14. सहभागी भूजल प्रबंधन, स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक होने के नाते, अटल भूजल योजना के माध्यम से समयबद्ध तरीके से निष्पादित किया जाए और पूरे देश में स्केलिंग के लिए इस योजना पर विचार किया जाए, इस प्रकार सभी राज्यों को शामिल किया जा सकता है।
15. केंद्रीय भूमि जल बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई करे कि अवसंरचना को बढ़ाने, तकनीकी उन्नयन और क्षमता निर्माण के लिए विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों को यथोचित समय के अंतर्गत कार्यान्वित किया गया है।

16. विभाग कार्यान्वित की जा रही भूजल योजनाओं के निष्पादन की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकारों पर दबाव डाल सकता है और यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करे कि भूजल के पुनर्भरण/वृद्धि के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाकर परिकल्पित परिणाम प्राप्त हुए हैं।
17. विभाग सी.जी.डब्ल्यू.बी. के जनादेश की समीक्षा करे और सतत विकास लक्ष्यों हेतु 2030 एजेंडा में देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के लिए संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयास करे।
18. विभाग चिन्हित लक्ष्यों में से प्रत्येक के तहत हुई प्रगति का मूल्यांकन करे और यह सुनिश्चित करने के लिए निश्चित कार्रवाई करे कि भारत प्रासंगिक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने जैसा कि प्रतिबद्ध है में सक्षम है।